398

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-- पि०व०/4/वि०यो०--22--03/2023-- 70,

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव--सह--निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-- 05/06/2026

विषयः-- **वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के 12 जिलों यथा-औरंगाबाद, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, नालंदा, सहरसा, सीवान, मुंगेर एवं सुपौल में 520 आसन वाले संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला के अधिष्ठापन हेतु विभिन्न सामग्रियों/उपकरणों यथा-पैनल लाईटिंग, 2 के०वी०ए० यू०पी०एस०, कम्प्यूटर टेबल, कुर्सी आदि की आपूर्ति हेतु कुल राशि रू० 59,67,000/- (रू० उनसठ लाख सड़सठ हजार) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-63 दिनांक-27.05.2026 द्वारा राज्य के 12 जिलों यथा-औरंगाबाद, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, नालंदा, सहरसा, सीवान, मुंगेर एवं सुपौल में 520 आसन वाले संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला के अधिष्ठापन हेतु विभिन्न सामग्रियों/उपकरणों यथा-पैनल लाईटिंग, 2 के०वी०ए० यू०पी०एस०, कम्प्यूटर टेबल, कुर्सी आदि की आपूर्ति हेतु कुल राशि रू० 59,67,000/-- (रू० उनसठ लाख सड़सठ हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2--उक्त स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026--27 में राज्य के 12 जिलों यथा-औरंगाबाद, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, नालंदा, सहरसा, सीवान, मुंगेर एवं सुपौल में 520 आसन वाले संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला के अधिष्ठापन हेतु विभिन्न सामग्रियों/उपकरणों यथा-पैनल लाईटिंग, 2 के०वी०ए० यू०पी०एस०, कम्प्यूटर टेबल, कुर्सी आदि की आपूर्ति हेतु कुल राशि रू० 59,67,000/-- (रू० उनसठ लाख सड़सठ हजार) मात्र आवंटित की जाती है।

3--कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026--27 में राज्य स्कीम के तहत बजट शीर्ष मांग संख्या--11, मुख्य शीर्ष 2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 03-- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277--शिक्षा, उप शीर्ष 0101-- शिक्षा, विषय शीर्ष--13.01 कार्यालय व्यय विपत्र कोड संख्या--11-2225-03-277-0101 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4--आवंटित/निकासी की गयी राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0--63, दिनांक--05.05.2026 के आलोक में किया जाएगा।

5--इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव--सह--निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी0एल0 खाता संख्या--PTSPLA007 में Ledger Name- OPERATION & MAINTENANCE OF SCHOOLS & HOSTELS तथा Ledger id-17221 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

P.T.O

6—राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या—2561 दिनांक—17.04.1998 तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों एवं विभागीय परिपत्रों में निहित निदेशों/प्रावधान के आलोक में करेंगे।

7— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8— प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9—सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

10—कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि०व०/4/वि०यो०—22—04/2022— 70 पटना, दिनांक—05/06/2026

प्रतिलिपि—(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव (बजट), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/संबंधित प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय लेखा शाखा को (दोहरी प्रति में) को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) माननीया मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(6) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।